



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आश्विन, 1944 (श०)

संख्या - 470 राँची, मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

1 सितम्बर, 2022

विषय:- झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आच्छादित होने वाले लाभुकों की अधिकतम संख्या 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने की स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या-खा.प्र.-01/झा०रा०खा०सु०यो०/06-07/2020-2559,--राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित लाभुकों को अनुदानित दर पर खाद्यान्न (चावल) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से माह जनवरी 2021 से झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) लागू है। इस योजना के तहत आच्छादित लाभुकों को 05 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल) प्रति लाभुक प्रति माह एक रुपये प्रति किलोग्राम की अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाता है। संबंधित योजना अंतर्गत आच्छादित होने वाले लाभुकों का अधिकतम लक्ष्य 15 लाख निर्धारित है। वर्तमान में दिनांक 13.04.2022 के आँकड़ों के अनुसार संबंधित योजना अंतर्गत आच्छादित लाभुकों की संख्या 14,80,069 है जो कि निर्धारित लक्ष्य का 98.67 प्रतिशत है ।

2. राज्य में जन वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण की मुख्यतः 02 योजनाएँ संचालित हैं। इनमें से पहला राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है जिसके तहत भारत सरकार द्वारा अनुदानित दर पर राज्य को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। दूसरी योजना झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना है जो कि पूर्णतः राज्य सरकार पर भारित योजना है।

3. भारत सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित होने वाले लाभुकों की अधिकतम संख्या 2,64,25,385 निर्धारित की गयी है। दिनांक 13.04.2022 के आँकड़ों के अनुसार अधिनियम के तहत आच्छादित लाभुकों की संख्या 2,64,13,663 है जो कि निर्धारित लक्ष्य का 99.96% है।

4. भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वर्ष 2011 की जनगणना आँकड़ों के आधार पर ही अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित होने वाले लाभुकों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें वृद्धि अगली जनगणना आँकड़ों के आधार पर ही संभावित है।

5. स्पष्ट है कि वर्तमान में विभाग अंतर्गत संचालित खाद्यान्न वितरण की योजनाओं यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) तथा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) के तहत निर्धारित लक्ष्य के आलोक में लाभुकों को आच्छादित कर लिया गया है तथा वर्तमान में रिक्तियाँ बहुत ही कम हैं। दूसरी ओर योजनाओं के तहत आच्छादित होने के लिए कई सारे राशनकार्ड के आवेदन लंबित हैं। इनमें से कई ऐसे लाभुक हैं जो संबंधित योजनाओं के तहत आच्छादित होने हेतु पात्रता रखते होंगे किन्तु रिक्तियाँ नहीं होने के कारण उन्हें आच्छादित करना संभव नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार ऐसे लाभुक पात्रता रखने के बावजूद भी खाद्यान्न के लाभ से वंचित हैं।

6. उक्त परिप्रेक्ष्य में ऐसे पात्र लाभुकों को अनुदानित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य यथा 15 लाख लाभुक से बढ़ाकर 20 लाख लाभुक किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार 05 लाख अतिरिक्त लाभुकों को संबंधित योजना के तहत 05 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल) प्रति लाभुक प्रति माह 01 रुपये प्रति किलोग्राम की अनुदानित दर पर प्राप्त होगी।

7. इस योजना अंतर्गत आच्छादित होने वाले 05 लाख अतिरिक्त लाभुकों के फलस्वरूप निर्धारित लक्ष्य यथा 20 लाख सुपात्र लाभुकों का जिलावार लक्ष्य नीति आयोग के Multidimensional Poverty Index के आलोक में संलग्न विवरणी (परिशिष्ट-क) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

8. संबंधित योजना अंतर्गत 05 लाख अतिरिक्त लाभुकों का आच्छादन आदि का कार्य राज्य में झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन के संदर्भ में निर्गत संकल्प संख्या-2413 दिनांक 15.09.2020 (परिशिष्ट-ख) में निहित दिशा-निर्देशों के आलोक में किया जाएगा।

9. संबंधित योजना अंतर्गत आच्छादित होने वाले 05 लाख अतिरिक्त लाभुकों के लिए रुपये 2250.00 प्रति क्वींटल की दर से खाद्यान्न (चावल) का औसत मूल्य मानते हुए खाद्यान्न का मूल्य एवं परिवहन हथालन तथा वितरण कार्य पर भारित अन्य व्यय सहित एक माह का अनुमानित व्यय रुपये 5.91 करोड़ एवं वार्षिक अनुमानित व्यय रुपये 70.95 करोड़ है।

10. संबंधित योजना अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यक राशि की स्वीकृति बजट शीर्ष-3456 -सिविल पूर्ति-उप शीर्ष -66-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित गरीब लाभुकों को खाद्यान्न वितरण योजना के तहत उपबंधित राशि से किया जाएगा।

11. प्रस्ताव एवं संलेख पर मंत्रिपरिषद की दिनांक 24.08.2022 की बैठक के मद संख्या-07 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

हिमानी पाण्डे,
सरकार के सचिव।

परिशिष्ट-क

झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आच्छादित होने वाले लाभुकों की संख्या का निर्धारण

Sl No.	District	Current Target (15 lakh Beneficiaries)	Proposed Target (20 lakh Beneficiaries)
1	Bokaro	93776	93776
2	Dhanbad	122066	122066
3	Giridih	111198	111198
4	Hazaribagh	78869	78869
5	Palamu	88208	88208
6	Purbi Singhbhum	104307	104307
7	Ranchi	132514	132514
8	Chatra	47421	91918
9	Deoghar	67846	71731
10	Dumka	60087	80099
11	Garhwa	60148	80599
12	Godda	59728	78405
13	Gumla	46617	70672
14	Jamtara	35970	76513
15	Khunti	24185	73623
16	Kodarma	32569	49455
17	Latehar	33056	79767
18	Lohardaga	20998	68704
19	Pakur	40943	91797
20	Pashchimi Singhbhum	68313	87167
21	Ramgarh	43172	45097
22	Sahibganj	52317	84639
23	Saraikela-Kharsawan	48429	63241
24	Simdega	27263	75635
Total		1500000	2000000
